# न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बापिणी

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 41/2024

प्रार्थीगणः– 01. मोहन सिंह पुत्र श्री चुतर सिंह

02. रामू कंवर पत्नी श्री मोहन सिंह

जातिगण–राजपूत, निवासीगण–पीथासर।

बनाम

अप्रार्थीगणः– 01. प्रेमसिंह पुत्र श्री चुतर सिंह

जाति–राजपूत, निवासी–पीथासर।

02. श्रीमान् तहसीलदार बापिणी।

उपस्थित –

प्रार्थी की ओर से – अधिवक्ता श्री विक्रमसिंह भाटी

अप्रार्थी की ओर से – सरकारी पैरोकार।

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम**

**–::निर्णय::–**

दिनांकः–12/11/2025

प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1107/4 रकबा 4.6215 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ एवं अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा नम्बर 1107/2 रकबा 4.5891 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ मौजा ग्राम पीथासर, पटवार हल्का पूनासर, तहसील बापिणी, जिला फलोदी की सरहद में आई हुई है। उक्त बारानी चतुर्थ भूमि की नक्शे में तरमीम करते वक्त मौके के विपरीत तरमीम कर दी गई। प्रार्थी को उक्त गलत तरमीम की जानकारी लम्बे समय तक नहीं हुई हाल ही में प्रार्थी को इसकी जानकारी होने पर प्रार्थी ने अप्रार्थी से सम्पर्क कर उपरोक्त गलत तरमीम को शुद्ध करने हेतु कहा तो अप्रार्थी ने कहा कि तरमीम दुरस्ती का दावा प्रस्तुत कर तरमीम दुरस्त करने का आदेश न्यायालय से करवाना होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1107/4 रकबा 4.6215 हैक्टेयर किस्म

सहायक कलक्टर बापिणी

बारानी चतुर्थ एवं अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा नम्बर 1107/2 रकबा 4.5891 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ मौजा ग्राम पीथासर, पटवार हल्का पूनासर, तहसील बापिणी, जिला फलोदी बाबत् राजस्व नक्शे में की गई गलत तरमीम को निरस्त की जाकर मौके अनुसार नई तरमीम किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें तदनुसार अमल दरामद करवाया जावें।

प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस प्रेषित किया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी द्वारा हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट लेकर रिपोर्ट अनुसार ग्राम पीथासर के ख.नं. 1107/4 एवं 1107/2 की दर्ज नजरी नक्शे व मौके अनुसार शुद्ध करने की अनुशंषा की।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई, बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध जवाब अप्रार्थी व अन्य दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1107/4 एवं 1107/2 की तरमीम दर्ज नजरी नक्शे व मौके से भिन्न है जो दुरस्त की जानी न्यायोचित है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

**—::आदेश::—**

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील बापिणी पटवार मण्डल पूनासर राजस्व ग्राम पीथासर में प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1107/4 एवं खसरा नम्बर 1107/2 बाबत् वर्तमान नक्शे में की गई गलत तरमीम के स्थान पर अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। पालना हेतु तहसीलदार बापिणी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर बापिणी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बापिणी

कलक्टर बापिणी (फलोदी)

आज दिनांक 12/11/2025 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर बापिणी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बापिणी